राज्य स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान – राज्य स्तर पर महिलाओं के आर्थिक उत्थान, विभिन्न प्रशिक्षणों, अन्तर्विभागीय समन्वयन, गठन एवं लिंकेज की प्रभावी मोनिटरिंग, अनुसंधान, सर्वेक्षण, सेमीनार, कार्यशालाएं आदि के आयोजन करने की दृष्टि से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 30 मार्च, 2005 को राज्य स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान की स्थापना की गई।

- स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण एवं कौशल उन्नयन।
- उत्पाद संबंधी डिजाइन, नवीन तकनीकी एवं बाजार संबंधी गतिविधियों/ स्थितियों का अध्ययन कर संबंधित सुविधाएं दिलवाना।
- समूहों के गठन एवं उनसे संबंधित व्यवसायों के लिए रिसर्च सर्वेक्षण एवं नवाचार करना।
- समूहों को बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदत्त करना।
- समूहों की गतिविधियों एवं उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने हेतु प्रकाशन एवं डॉक्यूमेंटेशन।
- समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, आउटलेट, व्यापार मेले, हाट आदि जगहों पर प्रदर्शनी एवं स्टाल हेतु मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- समूहों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनस्थ विभिन्न विभागों/संस्थाओं से जोड कर लाभ दिलवाना।